छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 808/2007</u>

1.	**श्री राकेश शुक्ला,** **जवाहर वार्ड, बालानी चौक,** **मुंगेली, जिला- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)**	-	*अपीलार्थी*

विरूद्ध

1.	*जन सूचना अधिकारी,* **कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,** **जनपद पंचायत, मुंगेली,** **जिला- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)**	-	*प्रति अपीलार्थी*

//<u>आदेश</u>//
(दिनांक 15 अप्रैल, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री राकेश शुक्ला ने दिनांक 09.06.2006 को जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुंगेली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु समयावधि में जानकारी प्राप्त नही होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपील दिनांक 28.07.2006 को प्रस्तुत की गई, किन्तु प्रथम अपील में सुनवाई नही होने के कारण उनके द्वारा असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 19.04.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ उभय पक्ष की सुनवाई की गई और प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रकरण में यह बताया गया कि दिनांक 20.07.2007 को जानकारी दी जा रही थी किन्तु अपीलार्थी द्वारा लेने से इंकार किया गया और रजिस्टर्ड डाक से जानकारी भेजने के निर्देश दिये गये, किन्तु अपीलार्थी को समक्ष में जानकारी दिलवाई गई और अपीलार्थी द्वारा उक्त जानकारी को अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण बतलाया गया । अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुंगेली को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया साथ ही पूर्ण जानकारी 15 दिवस में देने के निर्देश भी दिये गये, किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का कोई भी उत्तर उनके द्वारा प्रस्तुत नही किया गया और जानकारी भी नही दी गई तथा सुनवाई दिनांक को उपस्थित नही हुये, अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई । प्रकरण से यह स्पष्ट है कि जो जानकारी दी गई है, वह अपूर्ण है, उसमें वेतन देयक

पत्रकों की प्रतिलिपि नही दी गई है और किस-किस पद पर कार्यरत रहे यह भी नही बताया गया है तथा नियुक्तकर्ता अधिकारी का आदेश दिनांक, कमांक नही बताया गया है और निर्देश दिये जाने के बावजूद भी जानकारी नही दी गई है और न ही कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर दिया गया है, अत: प्रस्तावित शास्ति को थोड़ा कम किया जाकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुंगेली पर अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत दो हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है । साथ ही निर्देश दिये जाते है कि शेष रही जानकारी 15 दिवस में अपीलार्थी को नि:शुल्क प्रदान की जावे । प्रकरण में अपूर्ण जानकारी प्रदाय करने के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत जनपद पंचायत की ओर से राशि 300/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त